

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054.

दिनांक: 23/11/2011

अधिसूचना

सं.शि0नि0 / 23(462) / स्कू0-शा0 / 10 / 17 - 33 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल-शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :** (1) ये नियम दिल्ली निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2011 कहे जायेंगे।
- (2) ये नियम दिल्ली राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- (3) ये नियम समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तृत होंगे।

भाग—I

प्रारम्भिक

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –
- (क) “अधिनियम” का अर्थ है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35)।
- (ख) “नियत तिथि” से राजपत्र में यथा अधिसूचित वह तारीख अभिप्रेत है जिसको अधिनियम प्रवृत्त होता है।
- (ग) “अध्याय”, “धारा” तथा “अनुसूची” का अर्थ क्रमशः अधिनियम के अध्याय, धारा तथा अनुसूची से होगा।
- (घ) “निदेशक” का अर्थ है शिक्षा निदेशक, दिल्ली तथा इसमें ऐसा अन्य अधिकारी भी सम्मिलित है जिसे उसके द्वारा अधिनियम के अंतर्गत निदेशक के सभी या किसी कार्य का निष्पादन करने के लिये अधिकृत किया गया है।
- (ङ) “जिला शिक्षा अधिकारी” का अर्थ है उप शिक्षा निदेशक, दिल्ली जो किसी जिले का प्रभारी या इस आशय के लिए अधिकृत कोई अन्य अधिकारी।
- (च) “विद्यार्थी का संचित रिकार्ड” का अर्थ है विद्यार्थी के विस्तृत एवं सतत् मूल्यांकन के आधार पर, प्रगति का रिकार्ड।
- (छ) स्कूल मैपिंग (**School Mapping**) का अर्थ है भौगोलिक दूरी तथा सामाजिक अवरोधों को समाप्त करने के लिए स्कूल की अवस्थिति का नियोजन।
- (ज) “सरकार” का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार।
- (झ) “स्थानीय प्राधिकारी” का अर्थ है स्थानीय प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित प्राधिकारी।

- (ज) "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ।
- (2) इन नियमों में "प्रारूपों" के सभी संदर्भों को इसके साथ संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित प्रारूपों के संदर्भ में देखा जायेगा ।
- (3) यहां उल्लिखित तथा अधिनियम में परिभाषित न किये गये सभी शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः अधिनियम में दिया गया है ।

भाग—II

विद्यालय प्रबंध समिति

3. **विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना एवं कृत्य** :—(1) विद्यालय प्रबंध समिति (जिसे इसके पश्चात् उक्त समिति कहा गया है) का गठन गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को छोड़कर प्रत्येक विद्यालय में किया जायेगा तथा इसमें 16 से कम सदस्य नहीं होंगे। इसका गठन इन नियमों के लागू होने के छह माह के भीतर होगा तथा प्रत्येक दो वर्ष में पुनर्गठन किया जायेगा ।

प्रावधान है कि इस समिति की पचास प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी ।

यह भी प्रावधान है कि इसमें अलाभप्रद समूह तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के माता-पिता/संरक्षकों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा ।

प्रावधान है कि समिति का कार्यक्षेत्र माध्यमिक शिक्षा स्तर तक सीमित होगा ।

- (2) विद्यालय प्रबंध समिति की सदस्य संख्या का पचहत्तर प्रतिशत विद्यार्थियों के माता-पिता या संरक्षकों से होगा ।
- (3) विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों का शेष पच्चीस प्रतिशत निम्नलिखित व्यक्तियों में से होगा:—
- (क) समिति का एक सदस्य स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि होगा;
- (ख) स्कूल का प्रधान समिति का सदस्य होगा;
- (ग) समिति का एक सदस्य स्कूल का अध्यापक होगा जिसका विनिश्चय स्कूल के अध्यापक करेंगे;

- (घ) एक सदस्य, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा सामाजिक कार्यकर्ता होगा।
- (4) निम्न स्कूल अध्यापकों को विशेष आमंत्रित के रूप में विद्यालय प्रबंध समिति में सम्मिलित किया जायेगा:—
- (i) एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक
- (ii) एक विज्ञान अध्यापक
- (iii) एक गणित अध्यापक
- (5) विद्यालय प्रबंध समिति के कार्यों की व्यवस्था के लिए विद्यालय का प्रधानाचार्य इसका पदेन अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष अभिभावक सदस्यों से होगा। विद्यालय अध्यापक सदस्य, समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेगा।
- (6) उक्त समिति की बैठक दो महीने में कम से कम एक बार होगी तथा बैठक के विनिश्चय का कार्यवृत्त समुचित रूप से अभिलिखित किया जायेगा और जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- (7) उक्त समिति, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :—
- (क) उक्त समिति, विद्यालय के आस-पास में रहने वाली जनसाधारण को सरल और सृजनात्मक रूप में, अधिनियम में यथा प्रतिपादित बालक के अधिकार तथा स्थानीय प्राधिकरणों, स्कूल, संरक्षकों तथा माता-पिता के कर्तव्यों के बारे में, जानकारी प्रदान करेगी;
- (ख) अधिनियम की धारा 24 तथा धारा 28 के खंड (क) तथा (ड) का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी;
- (ग) इस बात के लिए निगरानी करेगी कि अध्यापकों पर अधिनियम की धारा 27 में विनिर्दिष्ट कार्यों के अलावा गैर शैक्षणिक कार्यों का भार न डाला जाए।
- (घ) विद्यालय के आसपास के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन तथा लगातार उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- (ड) अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों तथा मानकों के बनाये रखने को मॉनिटर करना।
- (च) बालक के अधिकारों से किसी विचलन को, विशेष रूप से बालकों के मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश से इंकार किए जाने और धारा 3 की उपधारा (2)

के अनुसार निःशुल्क हकदारियों के समयबद्ध उपबंध को सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी की जानकारी में लाना।

- (छ) अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की आवश्यकताओं की पहचान करना, योजना तैयार करना तथा निगरानी करना।
 - (ज) निःशक्तताग्रस्त बालकों की पहचान तथा नामांकन तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं को मानिटर करना और माध्यमिक शिक्षा में उनके भाग लेने और उसे पूरा करने को सुनिश्चित करना।
 - (झ) स्कूलों में मध्याह्न भोजन के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
 - (8) यदि उक्त समिति को अधिनियम के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन हेतु कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो एक पृथक खाते में रखा जायेगा, जिसकी वार्षिक रूप से संपरीक्षा की जाएगी।
 - (9) उपनियम (8) में उल्लिखित लेखा पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा संयोजक के हस्ताक्षर होंगे और तैयार करके एक माह के भीतर निधि प्रदान करने वाले प्राधिकारी को सौंपा जायेगा।
4. **विद्यालय विकास योजना तैयार करना** :—(1) विद्यालय प्रबंध समिति, अधिनियम के अधीन गठित प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम से कम तीन महीने पहले विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।
- (2) विद्यालय विकास योजना तीन वर्षीय योजना होगी, जिसके अन्तर्गत तीन वार्षिक उपयोजनाएं तैयार की जायेंगी।
 - (3) विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—
- (क) प्रतिवर्ष का कक्षा—वार नामांकन अनुमान।
 - (ख) कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 के लिए अलग—अलग अतिरिक्त अध्यापकों, जिसमें विषय के अध्यापक तथा अंशकालिक अध्यापक आदि भी शामिल हैं, की आवश्यकता, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुसार होगा।
 - (ग) अतिरिक्त अवसंरचना एवं उपकरणों की वास्तविक आवश्यकता, जिसका परिकलन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों तथा मानकों के अनुसार किया जायेगा।

- (घ) उक्त (ख) तथा (ग) के विषय में वित्तीय आवश्यकताएं, इसमें अधिनियम की धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा हेतु अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों तथा वर्दी की पात्रता एवं अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता भी शामिल है।
- (4) विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हस्ताक्षर करेंगे तथा रिपोर्ट तैयार करके संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले उपयुक्त प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

भाग—III

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

5. विशेष प्रशिक्षण :—(1) सरकार अथवा स्थानीय अधिकारी के स्वामित्वाधीन एवं प्रबंधनाधीन विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति ऐसे बच्चों की पहचान करेगी जिन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है तथा प्रशिक्षण का आयोजन निम्न रूप में करेगी, अर्थात् :—
- (क) विशेष प्रशिक्षण, अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विशेष रूप से तैयार की गई आयु अनुसार शिक्षा सामग्री पर आधारित होगा।
- (ख) विशेष प्रशिक्षण, विद्यालय परिसर में या सुरक्षित आवासीय सुविधा स्थानों पर लगाई जाने वाली कक्षाओं में दिया जायेगा।
- (ग) यह प्रशिक्षण स्कूल में कार्यरत अध्यापकों या इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त अध्यापकों द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- (घ) प्रशिक्षण की अवधि कम से कम तीन माह होगी, जिसे समय-समय पर शिक्षा में प्रगति के आधार पर दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

- (2) विशेष प्रशिक्षण के पश्चात्, आयु संगत कक्षा में प्रवेश देने के पश्चात् अध्यापक उस बच्चे पर विशेष ध्यान देंगे ताकि वे शैक्षणिक तथा भावनात्मक रूप से दूसरे विद्यार्थियों के साथ सफलतापूर्वक जुड़ सकें।

भाग-IV

सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण के कार्य एवं उत्तरदायित्व

6. आस पास का क्षेत्र तथा सीमाएं :- (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थापित किये जाने वाले विद्यालय का आस-पास का क्षेत्र या सीमाएं इस प्रकार होंगी :-
- (क) प्रथम श्रेणी से पांचवीं श्रेणी तक के बच्चों के संबंध में कोई विद्यालय, जहां तक संभव हो, बच्चे के आवास के एक किलोमीटर के क्षेत्र के भीतर स्थापित किया जाएगा।
- (ख) छठी श्रेणी से आठवीं श्रेणी तक के बच्चों के संबंध में, कोई विद्यालय, जहां तक संभव हो, बच्चे के आवास के 3 किलोमीटर के क्षेत्र के भीतर स्थापित किया जाएगा।
- (2) जहां कहीं अपेक्षित हो, सरकार प्रथम श्रेणी से पांचवीं श्रेणी वाले विद्यमान विद्यालय में छठी श्रेणी से आठवीं श्रेणी को शामिल करके दर्जा बढ़ा सकती है। जो विद्यालय छठी श्रेणी से प्रारंभ होते हैं, उन विद्यालयों में जहां कहीं अपेक्षित हो, प्रथम श्रेणी से पांचवीं श्रेणी जोड़ने के लिये प्रयत्न कर सकती है। सरकार, समय-समय पर स्थानीय प्राधिकरण को विद्यालयों का दर्जा बढ़ाने के लिए निर्देश जारी कर सकती है।
- (3) अधिक घनत्व आबादी वाले क्षेत्रों में, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण ऐसे स्थानों में 6-14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए एक से अधिक समीपवर्ती विद्यालय स्थापित करने के लिये विचार कर सकती है।
- (4) सरकार/स्थानीय प्राधिकरण उस/उन समीपवर्ती विद्यालय/विद्यालयों की पहचान करेगी जिसमें बच्चों को प्रवेश दिया जा सकेगा और अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर प्रत्येक निवासी के लिये ऐसी सूचना सार्वजनिक करेगी।

- (5) निःशक्तताग्रस्त बच्चों के संबंध में, जो निःशक्तता उन्हें विद्यालय जाने से रोकती है, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, उन्हें विद्यालय में उपस्थित होने और माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के लिये उपयुक्त तथा निःशुल्क परिवहन साधन उपलब्ध कराएंगे ।
- (6) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक आधार बच्चों के प्रवेश के बाधक न बने ।
- (7) **सरकार का शैक्षणिक उत्तरदायित्व :-**सरकार माध्यमिक शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पद्धति के विकास हेतु किसी शैक्षणिक प्राधिकरण को अधिसूचित करेगी ।

8. **सरकार और स्थानीय प्राधिकरण का उत्तरदायित्व :-** (1) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (1) में संदर्भित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा कोई बच्चा, धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (ii) में संदर्भित किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा कोई बच्चा तथा धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसरण में धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और (iv) में संदर्भित किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा बच्चा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, लेखन सामग्री और वर्दी पाने का हकदार होगा ।

तथा निःशक्तताग्रस्त बच्चे को निःशुल्क विशेष शिक्षण और सहायक सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी ।

व्याख्या : धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में प्रवेश प्राप्त किसी बच्चे तथा धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसरण में प्रवेश प्राप्त किसी बच्चे के संबंध में निःशुल्क पात्रता उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व क्रमशः धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (ii) में और धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) एवं (iv) में संदर्भित विद्यालय का होगा ।

- (2) स्थानीय प्राधिकरण, अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के भीतर तथा इसके बाद प्रति वर्ष समीपवर्ती विद्यालयों के निर्धारण और स्थापना के प्रयोजनार्थ सभी बच्चों की पहचान का कार्य प्रारंभ करेगा, जिसमें दूरवर्ती क्षेत्रों के बच्चे, अपंगता/निःशक्तताग्रस्त बच्चे, अलाभप्रद समूह से संबंधित बच्चे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित बच्चे और धारा 4 में संदर्भित बच्चे शामिल हैं ।
- (3) सरकार/स्थानीय प्राधिकरण सुनिश्चित करेगी/करेगा कि विद्यालय में कोई भी बच्चा जाति, श्रेणी, धर्म या लिंग संबंधी दुर्व्यवहार के अध्यधीन नहीं हो ।

- (4) धारा 8 के खंड (ग) तथा धारा 9 के खंड (ग) के प्रयोजनार्थ सरकार/स्थानीय प्राधिकरण सुनिश्चित करेगी/करेगा कि कमजोर वर्ग से संबंधित किसी बच्चे, अलाभप्रद समूह से संबंधित किसी बच्चे तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को कक्षा कक्ष में, मध्याह्न भोजन के दौरान, क्रीड़ा स्थलों में, सार्वजनिक पेयजल और शौचालय सुविधाओं के प्रयोग में अलग न रखा जाए या उनके विरुद्ध भेदभाव न किया जाए।
9. **स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बच्चों के अभिलेख का रखरखाव :-** (1) स्थानीय प्राधिकरण अपने क्षेत्र में बच्चों के जन्म से लेकर 14 वर्ष तक की आयु होने तक सभी बच्चों का घर-घर जाकर सर्वेक्षण कराके अभिलेख का रखरखाव करेगा।
- (2) उपनियम (1) में संदर्भित अभिलेख का प्रतिवर्ष अद्यतन किया जाएगा।
- (3) उपनियम (1) में संदर्भित अभिलेख सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शी तरीके से रखा जाएगा और धारा 9 के खंड (ड) के प्रयोजनों के लिये प्रयोग किया जाएगा।
- (4) उपनियम (1) में संदर्भित अभिलेख प्रत्येक बच्चे के संबंध में होगा, इसमें —
- (क) नाम, लिंग, जन्मतिथि, जन्म स्थान
- (ख) माता-पिता/संरक्षक का नाम, पता, व्यवसाय
- (ग) पूर्व प्राथमिक विद्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्र जिसमें बच्चा जाता है।
- (घ) माध्यमिक विद्यालय जिसमें बच्चे का प्रवेश हुआ है।
- (ङ) बच्चे का वर्तमान पता
- (च) कक्षा जिसमें बच्चा पढ़ रहा है (6-14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिये) और यदि स्थानीय प्राधिकरण के क्षेत्र में शिक्षा छोड़ दी है, तो इस प्रकार शिक्षा छोड़ने का कारण
- (छ) क्या बच्चा कमजोर वर्ग से संबंधित है?
- (ज) क्या बालक (i) अप्रवास और अपर्याप्त जनसंख्या (ii) आयु अनुसार समुचित प्रवेश, और (iii) निःशक्तता के कारण विशेष सुविधाओं या निवास सुविधाओं की अपेक्षा करता है।
- (5) स्थानीय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त सभी बच्चों के अभिलेख प्रत्येक विद्यालय में बनाए जायें।

भाग—V

विद्यालयों तथा अध्यापकों के उत्तरदायित्व

10. कमजोर वर्ग तथा अलाभप्रद समूह से संबंधित बच्चों का प्रवेश :- (1) धारा 2 के खंड (ढ) के खंड (iii) एवं (iv) में संदर्भित विद्यालय सुनिश्चित करेंगे कि

- धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसार प्रवेश प्राप्त बच्चों को कक्षा कक्षाओं में अन्य बच्चों से अलग नहीं किया जाएगा और अन्य बच्चों के लिए लगाई गई कक्षाओं से उनकी कक्षाएं भिन्न स्थानों और भिन्न समय पर नहीं होगी ।
- (2) धारा 2 के खंड (ढ) के खंड (iii) एवं (iv) में संदर्भित विद्यालय सुनिश्चित करेंगे कि धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसार प्रवेश पाए बच्चों को शेष बच्चों की तुलना में किसी भी प्रकार से पाठ्य पुस्तक, वर्दी, पुस्तकालय, सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी सुविधाएं, पाठ्येत्तर गतिविधियों और खेलकूद जैसी हकदारियों एवं सुविधाओं के संबंध में विभेद नहीं किया जाएगा ।
- (3) नियम 6 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट आसपास का क्षेत्र या सीमाएं धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसार दिये गए प्रवेश पर लागू होगी ।

शर्त यह है कि सरकार धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) में संदर्भित बच्चों के लिये स्थानों का अपेक्षित प्रतिशत भरने के प्रयोजनों के लिये समय-समय पर आसपास की सीमाओं का विस्तार निर्धारित कर सकती है ।

- (4) सरकार, धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अन्तर्गत बच्चों के प्रवेश की पद्धति को समय-समय पर जारी सरकारी अधिसूचना से निश्चित कर सकती है ।
11. सरकार द्वारा खर्च किए गये प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति :- धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (1) में संदर्भित सभी विद्यालयों में नामांकित बच्चों की कुल संख्या से विभाजित ऐसे सभी विद्यालयों के संबंध में माध्यमिक शिक्षा पर सरकार द्वारा किया गया कुल वार्षिक आवर्ती व्यय, चाहे उसकी अपनी निधियों में से हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध निधियों में से हो या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा, सरकार द्वारा खर्च किया गया व्यय प्रति बच्चा होगा ।

व्याख्या : प्रति बच्चा व्यय निर्धारित करने के प्रयोजन के लिये, धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (ii) में संदर्भित विद्यालयों पर सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तथा ऐसे विद्यालयों में नामांकित बच्चों पर खर्च किया गया व्यय शामिल नहीं किया जाएगा ।

- (2) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) एवं (iv) में संदर्भित प्रत्येक विद्यालय अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की गई राशि के लिए एक अलग बैंक खाता रखेगा ।

- (3) धारा 12 के उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक में उल्लिखित विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिये उनके दायित्वों की पूर्ति करते रहेंगे और उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक (सेकेण्डरी/सीनियर सेकेण्डरी) शिक्षा की संपूर्ति तक, जैसी भी स्थिति हो, और अपने दायित्व की सीमा के लिये प्रतिपूर्ति पाने के लिये हकदार नहीं होंगे।
12. **आयु प्रमाण के दस्तावेज :-**जहां जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र अधिनियम 1866 के अन्तर्गत जन्म प्रमाण उपलब्ध नहीं है, वहां निम्नलिखित प्रलेखों में से किसी भी एक प्रलेख को विद्यालयों में प्रवेश के प्रयोजन के लिये बच्चे की आयु का प्रमाण मान लिया जाएगा ---
- (क) अस्पताल/सहायक नर्स और दाई(ए.एन.एम.) का रजिस्टर अभिलेख;
 (ख) आंगनबाड़ी अभिलेख;
 (ग) माता पिता या संरक्षक द्वारा बच्चे की आयु की घोषणा।
13. **प्रवेश के लिये बढ़ाई गई अवधि :-** (1) प्रवेश के लिये बढ़ाई गई अवधि किसी विद्यालय के शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ होने की तिथि से पांच माह होगी।
- (2) जहां बढ़ाई गई अवधि के पश्चात् किसी विद्यालय में किसी बच्चे को प्रवेश दिया गया है, वहां वह विशेष प्रशिक्षण, विद्यालय के प्रधान द्वारा यथानिर्धारित की गई सहायता से अध्ययन पूर्ण करने के लिये योग्य होगा/होगी।
14. **विद्यालयों को मान्यता :-**(1) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित, के स्वामित्व में या नियंत्रित किसी विद्यालय से भिन्न प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय जो इस अधिनियम के आरंभ से पहले स्थापित या चल रहा था, अधिनियम की धारा 18 के अनुसार मान्यता प्राप्त माना जाएगा। परन्तु, ऐसा हर एक विद्यालय, इन नियमों की अधिसूचना के दो माह के भीतर प्रपत्र-1 (क) में सम्बद्ध जिला शिक्षा अधिकारी को इसके अनुपालन संबंधी या अन्यथा अनुसूची में विनिर्दिष्ट निम्न मानकों एवं मानदंडों के बारे में स्व-घोषणा करेगा, अर्थात् :-
- (क) समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत पंजीकृत किसी समिति या तत्समय प्रचलित किसी विधि के अन्तर्गत गठित किसी सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय;
 (ख) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या एसोसिएशन या कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा लाभ के लिए न संचालित किया विद्यालय;
 (ग) संविधान में उल्लिखित मूल्यां के अनुरूप विद्यालय;
 (घ) विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिये प्रयुक्त किए जाते हैं।

- (ड) शिक्षा निदेशालय या स्थानीय प्राधिकरण के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिये विद्यालय खुला है।
- (च) विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन तथा सूचना प्रस्तुत करे जो समय-समय पर अपेक्षित हो और विद्यालय की मान्यता बने रहने की शर्त की पूर्ति या विद्यालय की कार्य प्रणाली में त्रुटियां दूर करने के लिये जारी किए गए सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है।
- (2) प्रपत्र-1 (क) में प्राप्त प्रत्येक स्व-घोषणा पत्र की संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाएगी।
- (3) वार्षिक निरीक्षण या अन्यथा के दौरान यदि संबंधित अधिकारी यह पाता है कि विद्यालय, उपनियम (1) में उल्लिखित मानदंडों मानकों एवं शर्तों के अनुरूप नहीं है लेकिन प्रपत्र 1(क) स्व-घोषणा पत्र में यह घोषणा की गई है कि यह मानदंडों एवं मानकों के अनुरूप है, तो जिला शिक्षा अधिकारी उचित कार्यवाही करेगा।
- (4) वे विद्यालय जो इस अधिनियम के आरंभ के तीन वर्षों के भीतर उपनियम (1) में उल्लिखित मानकों, मानदंडों एवं शर्तों का पालन नहीं करेंगे, कार्य करना बंद कर देंगे।
- (5) अधिनियम के लागू होने के पश्चात् सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित, स्वामित्व वाले या नियंत्रित किसी विद्यालय के अतिरिक्त गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय मान्यता के लिए अर्हता के उद्देश्य से उपनियम (1) में उल्लिखित मानकों, मानदंडों एवं शर्तों का पालन करेंगे। ऐसे विद्यालय शिक्षा निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रपत्र-1 (ख) में मान्यता हेतु आवेदन करेंगे। मानकों, मानदंडों एवं शर्तों के अनुरूप पाए गए विद्यालयों को प्रपत्र-2 में समुचित प्राधिकारी द्वारा मान्यता दी जाएगी। यदि आवेदन को रद्द किया जाता है, तो आवेदक को उसके रद्द करने का कारण बताया जाएगा।
15. **विद्यालय की मान्यता वापस लेना :-** (1) जहां संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को अपने विवेक से अथवा किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी प्रतिवेदन पर लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने के लिए विश्वास करने का कारण है कि नियम 14 के

अधीन मान्यता प्राप्त विद्यालय ने मान्यता देने की एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किया है अथवा अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानकों एवं मानदंडों को पूरा नहीं किया है तो उक्त अधिकारी निम्नलिखित रूप से कार्यवाही करेगा:-

- (क) मान्यता देने की शर्तों के उल्लंघन को विनिर्दिष्ट करते हुए विद्यालय को नोटिस जारी करेगा तथा एक माह के अन्दर इसका स्पष्टीकरण मांगेगा।
- (ख) यदि स्पष्टीकरण अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट मानकों एवं मानदंडों के अनुरूप नहीं है अथवा निर्धारित समय-सीमा में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी ऐसी कमेटी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण करा सकता है

जिसमें तीन से पांच सदस्य होंगे जो उचित जाँच करेंगे तथा मान्यता जारी रखने के लिए अथवा वापस लेने के लिए अपनी सिफारिशों सहित रिपोर्ट शिक्षा निदेशक को भेजेंगे जो मान्यता जारी रखने अथवा वापस लेने के लिए, जैसी भी स्थिति हो, आदेश पारित कर सकता है।

मान्यता वापस लेने का कोई भी आदेश विद्यालय को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

उक्त अधिकारी द्वारा इस प्रकार का आदेश सरकार की अनुमति के बिना पारित नहीं किया जायेगा।

- (2) मान्यता वापस करने के लिए पारित आदेश परवर्ती शैक्षणिक वर्ष से तुरन्त लागू होगा तथा नजदीकी विद्यालयों को विनिर्दिष्ट करेगा जिसमें उस विद्यालय के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा।

भाग—VI

अध्यापक

16. न्यूनतम अर्हताएं :- अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति की न्यूनतम योग्यताएं जो कि धारा 23 की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित धारा 2 के खंड (ढ) में संदर्भित प्रत्येक विद्यालय में लागू होगी जबकि सरकार शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए धारा 23 के अन्तर्गत अध्यापकों की नियुक्ति के लिए उच्च योग्यताएं निर्धारित कर सकती है।

17. अध्यापकों का वेतन तथा सेवा की शर्तें :- सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति में, अध्यापकों के व्यावसायिक तथा स्थायी संवर्ग सृजित करने के क्रम में अध्यापकों की सेवा की शर्तें तथा वेतन एवं भत्ते अधिसूचित करेगी।

18. अध्यापकों द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन :- अध्यापक धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ड) में विनिर्दिष्ट कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा:-

- (क) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना;

- (ख) पाठ्यक्रम तैयार करना तथा पाठ्यचर्या संवर्धन, प्रशिक्षण मॉड्यूलस तथा पाठ्य पुस्तक संवर्धन;
- (ग) समय-समय पर सरकार द्वारा यथानिर्धारित कोई अन्य कार्य।
- (2) अध्यापक प्रत्येक बच्चे के लिए छात्र संचयी अभिलेख की पत्रावली रखेगा जो कि माध्यमिक शिक्षा की संपूर्णता के लिए प्रमाण पत्र देने का आधार होगी।
19. **छात्र-अध्यापक अनुपात** :- विद्यालय में अध्यापकों का स्वीकृत संख्याबल सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, उस वर्ष 31 अगस्त तक बच्चों के नामांकन को ध्यान में रखते हुए 31 दिसम्बर तक अधिसूचित किया जाएगा।
- बशर्ते कि सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी अधिसूचना के तीन माह के भीतर, ऐसी अधिसूचना से पूर्व स्वीकृत संख्या बल से अधिक संख्याबल रखने वाले स्कूलों के अध्यापकों को पुनः तैनात करेगी।
20. **अध्यापकों की शिकायतों का निवारण** :-सरकार समय-समय पर जारी अधिसूचना द्वारा अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित कर सकती है।

भाग-VII

पाठ्यक्रम तथा माध्यमिक शिक्षा का पूरा होना

21. **शैक्षणिक प्राधिकरण** :- (1) सरकार, अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए एक शैक्षणिक प्राधिकरण अधिसूचित करेगा।
- (2) उपनियम (1) के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकरण पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्धारण करेगा-
- (क) सुसंगत तथा आयु संगत पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करेगा।
- (ख) सेवा के दौरान अध्यापक प्रशिक्षण डिजाइन का संवर्धन; एवं
- (ग) निरन्तर तथा व्यापक मूल्यांकन को अभ्यास में लाने के लिए मार्गदर्शिका तैयार करेगा।
- (3) उपनियम (1) में संदर्भित शैक्षणिक प्राधिकरण नियमित आधार पर विद्यालय की गुणवत्ता के समग्र आकलन हेतु प्रक्रिया को अभिकल्पित व क्रियान्वित करेगा।

22. **प्रमाण पत्र प्रदान करना :-** (1) माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के एक माह के भीतर विद्यालय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र में बच्चे का संचयी अभिलेख अंतर्विष्ट होगा।

भाग—VIII

बाल अधिकारों का संरक्षण

23. **दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कार्यों का निष्पादन:-** सरकार, अधिनियम के अन्तर्गत उसके कार्यों के निष्पादन में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को संसाधन सहायता उपलब्ध कराएगी।

24. **राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष शिकायते दर्ज कराने का तरीका :-** राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के अन्तर्गत बाल अधिकारों के हनन से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए बाल हैल्पलाइन का गठन करेगा। जिसकी मॉनीटरिंग पारदर्शी ऑन लाइन तंत्र के माध्यम से की जाएगी।

25. **राज्य सलाहकार परिषद् का गठन :-**(1) राज्य सलाहकार परिषद् में (इसके पश्चात् परिषद् के रूप में संदर्भित) एक अध्यक्ष व चौदह सदस्य होंगे।

(2) शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, परिषद् के पदेन अध्यक्ष होंगे।

(3) सरकार द्वारा परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी जो माध्यमिक शिक्षा एवं बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रखते हो।

(क) कम से कम तीन सदस्य वे व्यक्ति होंगे जो क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हो।

(ख) कम से कम एक सदस्य उन व्यक्तियों में से होगा जो कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा की विशेषज्ञता एवं व्यवहारिक अनुभव रखता हो।

(ग) एक सदस्य उन व्यक्तियों में से होगा जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता हो।

- (घ) कम से कम एक सदस्य उन व्यक्तियों में से होगा जो अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता एवं व्यावहारिक अनुभव रखता हो।
- (ङ) परिषद् के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे :-
- (i) सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
 - (ii) निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
 - (iii) निदेशक, राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली।
 - (iv) अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग।
- (च) राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान परिषद् का सदस्य होगा।
- (छ) एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी।
- (ज) अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (विद्यालय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, परिषद् का पदेन सदस्य सचिव होगा।
- (4) परिषद् यथापेक्षित अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को विशेष रूप से आमंत्रित कर सकती है।
- (5) राज्य सलाहकार परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

भाग-IX

विविध

26. अनुदेश जारी करने की शक्ति :- निदेशक, अगर उसे ऐसा लगता है, कि दिल्ली में अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए यह आवश्यक है, तो वह किसी भी मामले के संबंध में ऐसे अनुदेश जारी कर सकता है जो इन नियमों में समाहित नहीं है, जैसा वह उचित समझे।

27. शक्तियों का प्रत्यायोजन :- सरकार, अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत निदेशक अथवा किसी अन्य अधिकारी को नियमों के अन्तर्गत समस्त या उसकी कुछ शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकती है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

५२१

(सुरेश गुप्ता)

अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

दिनांक: 23/11/2011

सं.शि0नि0 / 23(462) / स्कू0-शा0 / 10 / 17-33

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित :-

- सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- सचिव, शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- प्रधान सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार। शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार।
- शिक्षा निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- निदेशक (शिक्षा), दिल्ली नगर निगम, दिल्ली।
- निदेशक (शिक्षा), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड।
- निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- समस्त अतिरिक्त निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक शिक्षा/संयुक्त निदेशक शिक्षा/सहायक निदेशक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- समस्त शाखा प्रभारी, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- ✓ कार्यालय अधीक्षक (आईटी) को शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध सहित।
- गार्ड फाईल।

५२१

(सुरेश गुप्ता)

अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

परिशिष्ट

प्रपत्र-1 (क)

मान्यता प्राप्त विद्यालय के लिये स्व-घोषणा पत्र
(नियम 14 के उपनियम (1) को देखें)

सेवा में

शिक्षा निदेशक
शिक्षा निदेशालय,
दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ,
पुराना सचिवालय, दिल्ली.

महोदय

मैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत निर्धारित मानकों एवं मानदंडों का अनुपालन करते हुए, स्व-घोषणा पत्र, (विद्यालय का नाम एवं पता)

को मान्यता प्राप्त करने हेतु ,
जोकि शैक्षणिक सत्र 20 - 20..... से प्रभावी है, प्रेषित करता हूँ ।

नोट : स्व - घोषणा पत्र भरने से पहले प्रबंधन निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 का पूर्णतः अध्ययन कर सकते हैं ।

क. विद्यालय का विवरण:	
1	विद्यालय आई डी संख्या सहित विद्यालय का नाम
2	सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त विद्यालय
3	मंडल एवं क्षेत्र (जोन)
4	डाक का पता (पोस्टल पता)
5	पिन कोड
6	फोन संख्या
7	फैक्स संख्या
8	ई-मेल पता- यदि कोई है
ख. सामान्य सूचना:	
1	विद्यालय प्रारंभ होने की तिथि (दिनांक/माह/वर्ष)
2	विद्यालय चलाने वाले न्यास/सोसायटी का नाम
3	क्या न्यास/सोसायटी के गैर स्वामित्व प्रकृति का कोई प्रमाण /सबूत संलग्न है ।
	हाँ/नहीं (चिह्न लगाइये)

4	क्या प्रबंध समिति के सदस्यों की सूची उनके पते, योग्यता एवं व्यवसाय सहित संलग्न है।	हाँ/नहीं (चिह्न लगाइये)		
5	क्या प्रबंधन योजना(एस ओ एम)अनुमोदित है	हाँ/नहीं (चिह्न लगाइये)		
6	विद्यालय के प्रबंधक का विवरण			
	(क) नाम			
	(ख) पता			
	(ग) शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण संलग्न कीजिए)			
	(घ) अध्यापन अनुभव (वर्षों में) शिक्षा अधिकारी/सहायक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित			
	(ङ) प्रशासनिक अनुभव वर्षों में			
	-----	-----		
	(च) दूरभाष संख्या	(कार्यालय)		
		(आवास)		
		(मोबाइल)		
7	तुलन पत्र (किसी पंजीकृत सनदी लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित एवं प्रमाणित) के अनुसार आय एवं व्यय (पिछले तीन वर्षों) का विवरण			
	वर्ष	आय	व्यय	आधिक्य/कमी
ग. विद्यालय का स्वरूप एवं क्षेत्र:				
1	शिक्षा का माध्यम			
2	विद्यालय का प्रकार (प्रवेश एवं अन्तिम कक्षा का उल्लेख कीजिए)			
3	यदि सहायता प्राप्त विद्यालय है तो जिस सरकार/अभिकरण/विभाग से सहायता राशि प्राप्त कर रहा है उसका नाम तथा सहायता राशि का प्रतिशत			
4	क्या विद्यालय सोसायटी द्वारा संचालित अपनी भूमि और भवन पर चल रहा है या भाड़े/पट्टे के भवन/भूमि पर चल रहा है?	स्वामित्व या भाड़े/पट्टे (चिह्न लगाइये)		
5	क्या विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या खेल के मैदान का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के लिये किये जाते हैं?	हाँ/नहीं (चिह्न लगाइये)		

घ. भूमि एवं भवन का विवरण (क्षेत्रफल वर्ग मीटर में):	
1. कक्षाओं की कुल संख्या	
2. कक्षा कक्षाओं की संख्या	
3. प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या कक्ष	
4. स्टाफ रूम	
5. कार्यालय कक्ष	
6. भंडार कक्ष	
7. प्रयोगशाला, यदि कोई है	
8. क्या विद्यालय की चार दीवारी है?	हाँ/नहीं (चिह्न लगाइये)
यदि नहीं, तो क्या विद्यालय में उपयुक्त बाड़ लगी हुई?	हाँ/नहीं (चिह्न लगाइये)
9. विद्यालय का कुल क्षेत्रफल-भूमि, भवन एवं खेल के मैदान सहित	
10. निर्मित विद्यालय भवन का क्षेत्रफल	
11. विद्यालय भवन का कुल छतदार क्षेत्रफल (सभी तलों सहित)	
12. खेल के मैदान का क्षेत्रफल	
ङ. अन्य सुविधाएं	
1. क्या सभी प्रकार की सुविधाएं बाधा रहित उपलब्ध होती है	हाँ/नहीं (चिह्न लगाइये)
2. पुस्तकालय	
(i) पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या	
(ii) समाचार पत्रों की संख्या (दैनिक अंशदान)	
(iii) पत्रिकाओं की संख्या (मासिक अंशदान)	
3. क्या खेल कूद एवं कीड़ा उपकरणों की सूची संलग्न है या नहीं?	हाँ/नहीं (चिह्न लगाइये)
4. (i) बालकों के लिये शौचालयों की संख्या	
(ii) बालिकाओं के लिये शौचालयों की संख्या	
(iii) निःशक्तताग्रस्त (बच्चों के लिए शौचालयों की संख्या)	

5.	क्या सभी बच्चों और स्टाफ को निरापद एवं पर्याप्त पेय जल सुविधा उपलब्ध है?	हाँ/नहीं (चिह्न लगाइये)		
6.	क्या अध्यापन/शिक्षण सामग्री उपलब्ध है?	हाँ/नहीं (चिह्न लगाइये)		
7.	क्या रसोई घर उपलब्ध है?	हाँ/नहीं (चिह्न लगाइये)		
च. अध्यापक और विद्यार्थी अनुपात : विषय अध्यापकों की संख्या / विद्यार्थियों की संख्या				
	(क) कक्षा 1 से V	अनुपात:		
	(ख) कक्षा VI से VIII	अनुपात:		
नोट: अध्यापकों में प्रयोगशाला सहायक, कोच एवं लिपिकीय लेखा स्टाफ आदि शामिल नहीं है ।				
छ. अध्यापकों का विवरण :		संख्या		
	(क) प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक			
	(ख) स्नातक अध्यापक			
	(i) अंग्रेजी			
	(ii) हिन्दी			
	(iii) संस्कृत या कोई अन्य भाषा (त्रिभाषा सूत्र के अनुसार)			
	(iv) विज्ञान			
	(v) सामाजिक विज्ञान			
	(vi) गणित			
	(ग) सहायक अध्यापक			
	(घ) शारीरिक शिक्षा अध्यापक			
	(ङ) कार्य शिक्षा अध्यापक			
	(च) कला शिक्षा अध्यापक			
ज. कक्षा वार विद्यार्थियों का नामांकन:				
	कक्षा	अनुभागों की संख्या	नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं अलाभप्रद समूह के कोटे के अन्तर्गत विद्यार्थियों की संख्या
	प्राथमिक पूर्व			
	I			
	II			
	III			
	IV			
	V			
	VI			

	VII		
	VIII		
	जोड़		
झ. शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस/पढ़ाई के घंटे:			
1.	(क) कक्षा I से V	कार्य दिवस की संख्या	
		पढ़ाई के घंटों की संख्या	
	(ख) कक्षा VI से VIII	कार्य दिवसों की संख्या	
		पढ़ाई के घंटे	
2.	प्रति सप्ताह अध्यापक के कार्य घंटों की संख्या	प्राथमिक अध्यापक	
		टीजीटी/पीजीटी	

1. यह वचनबद्ध किया जाता है कि विद्यालय उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु खुला है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय समय-समय पर शिक्षा निदेशक द्वारा यथापेक्षित ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रदान करने के लिये वचनबद्ध है और उपयुक्त प्राधिकारी या उप-शिक्षा निदेशक या शिक्षा अधिकारी के ऐसे अनुदेशों के अनुपालन के प्रति वचनबद्ध है जो विद्यालय की मान्यता बनाए रखने एवं विद्यालय प्रणाली की त्रुटियां दूर करने के लिये आवश्यक है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विद्यालय का अभिलेख शिक्षा निदेशालय या उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण हेतु खुला रहेगा और विद्यालय सारी ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा जो केन्द्रीय / राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण या प्रशासन के अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हो सकती है अथवा संसद/राज्य विधानसभा/पंचायत / नगर निगम, जैसी भी स्थिति हो, के प्रति अपने दायित्व के निर्वहन के लिये आवश्यक है।

अनुलग्नकों की कुल संख्या :

स्थान:

दिनांक:

प्रबंधक के हस्ताक्षर
(मोहर सहित)

फार्म 1 (ख)

मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन

सेवा में

निदेशक
शिक्षा निदेशालय
दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
पुराना सचिवालय, दिल्ली।

महोदय / महोदया,

मैं _____ (विद्यालय का नाम तथा पता) को मान्यता प्रदान करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रेषित कर रहा / रही हूँ। यह मान्यता विद्यालय की स्थापना वर्ष से प्रभावी है।

स्थान:

भवदीय / भवदीया

दिनांक :-

(अध्यक्ष/प्रबंधक विद्यालय प्रबंधन समिति के हस्ताक्षर)

मान्यता प्राप्ति के लिये प्रपत्र

1	सोसायटी/न्यास/एसोसिएशन का नाम	
2	मंडल का नाम जिसमें विद्यालय स्थित है	
3	क्षेत्र संख्या (जोन)जिसमें विद्यालय स्थित है	
4	पत्र व्यवहार के लिये विद्यालय का पता	
(चिह्नित क्षेत्र (*) को छोड़कर सभी क्षेत्र अनिवार्य)		
परिसर संख्या		गली संख्या *
गांव		राज्य का नाम
		सैक्टर *
		पिन कोड
5	क्या विद्यालय के लिये अनिवार्यता प्रमाण -पत्र (ई.सी.) जारी किया है (यदि हाँ तो अनिवार्यता प्रमाण -पत्र की प्रति संलग्न करें, यदि संस्थान अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
6	मान्यता माध्यमिक/उच्च माध्यमिक /उच्चतम माध्यमिक (विषय (स्ट्रीम) का उल्लेख करें) कहां तक वांछित है।	
7	सोसायटी/न्यास की पंजीकरण संख्या	
8	(क) विद्यालय के प्रबंधक का नाम	
	(ख) प्रबंधक का दूरभाष संख्या	
	(ग) प्रबंधक की शैक्षणिक योग्यता	
	(घ) प्रबंधक के अनुभव का विवरण (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें) अध्यापन अनुभव _____ वर्ष प्रशासनिक अनुभव _____ वर्ष	
9	शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रबंधन योजना (एस ओ एम)के अनुमोदन के लिये पत्र जारी करने की तिथि	
10	विद्यालय परिसर की कुल क्षेत्रफल भूमि एवं भवन के समस्त प्रामाणिक दस्तावेजों सहित (केवल वर्ग मीटर में)	
	(i) क्या भूमि सोसायटी के स्वामित्व की है अथवा पट्टा आधार पर ली है	
	(ii) भवन एवं खेल के मैदान सहित विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल	
	(iii) केवल निर्मित विद्यालय भवन का क्षेत्रफल	
	(iv) केवल खेल के मैदान का क्षेत्रफल	
11	विद्यालय भवन में उपलब्ध कराया गया आवास (संख्या/संख्या क्रम)	

	(क) कक्षा –कक्षाओं की संख्या		
	(ख) पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष		
	(ग) जीव विज्ञान प्रयोगशाला		
	(घ) भौतिकी प्रयोगशाला		
	(ङ) रसायन विज्ञान प्रयोगशाला		
	(च) कम्प्यूटर प्रयोगशाला		
	(छ) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिये विज्ञान गतिविधि प्रयोगशाला		
	(ज) गणित गतिविधि प्रयोगशाला		
	(झ) सामाजिक विज्ञान गतिविधि प्रयोगशाला		
	(ञ) सभागार/हॉल		
	(ट) स्टाफ रूम		
	(ठ) प्रधानाचार्य के लिये कक्ष		
	(ड) कार्यालय कक्ष		
	(ढ) क्या समस्त सुविधाएं अवरोध रहित उपलब्ध हैं		
	(ण) विद्यालय में शौचालयों का विवरण: बाल बालिका विकलांग		
12	छात्रों की कुल संख्या		
13	क्या भर्ती नियमों के अनुसार विद्यालय द्वारा शिक्षित एवं योग्य स्टाफ भर्ती किया गया है?	हाँ/नहीं	
14	क्या विद्यालय छठे वेतन आयोग के अनुसार ई.सी.एस./क्रॉस चेक के माध्यम से अपने स्टाफ को वेतन का भुगतान करता है?	हाँ/नहीं	
15	क्या विद्यालय ने प्रतिभूति/प्रतिभूति रहित ऋण लिया है?	हाँ/नहीं	
16	पिछले तीन वर्षों का विद्यालय की आय एवं व्यय लेखों का विवरण।		
		आय	व्यय
	प्रथम वर्ष		
	द्वितीय वर्ष		
	तृतीय वर्ष		

17	क्या विद्यालय ने अपनी सहयोगी संस्था अथवा सोसायटी को किसी निधि का हस्तान्तरण किया है?	हाँ/ नहीं		
18.	क्या विद्यालय ने मूल्य झस का दावा किया है? यदि हाँ, मूल्य झस सुरक्षित बैंक खाते का विवरण दें ।	हाँ/ नहीं		
19.	अन्य सुविधाएं	विद्यालय द्वारा दिये जाने वाला विवरण		
	सन्नियम			
	(क) प्रत्येक कक्षा में उपलब्ध कराये गये डैस्क, पंखों तथा ट्यूब लाइटों की संख्या	डैस्क	पंखें	ट्यूब लाइट
	(ख) पुस्तकालय	पुस्तकों की संख्या	पत्रिकाओं की संख्या	समाचार पत्रों की संख्या
	(ग) क्या शिक्षण सामग्री उपलब्ध है?	हाँ/ नहीं		
	(घ) क्या रसोईघर है?	हाँ/ नहीं		
20	च. अध्यापक और विद्यार्थी अनुपात : विषय अध्यापकों की संख्या / विद्यार्थियों की संख्या ----- कक्षा I से V ----- कक्षा VI से VIII	अनुपात: -----		
	(नोट :- अध्यापकों में प्रयोगशाला सहायक, कोच एवं लिपिकीय/लेखा स्टाफ आदि सम्मिलित नहीं है)			
21	विभिन्न श्रेणियों में अध्यापकों की संख्या			
	(क) मुख्य अध्यापक / मुख्य अध्यापिका			
	(ख) प्रशिक्षित स्नातकोत्तर अध्यापक / अध्यापिका (पी.जी.टी.)			
	(ग) प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक / अध्यापिका (टीजीटी)			
	(i) अंग्रेजी			
	(ii) हिन्दी			
	(iii) विज्ञान			
	(iv) सामाजिक विज्ञान			
	(v) गणित			
	(घ) सहायक अध्यापक			
	(ङ) शारीरिक शिक्षा अध्यापक			

	(च) कार्य शिक्षा अध्यापक	
	(छ) कला शिक्षा अध्यापक	
	(ज) पुस्तकालाध्यक्ष (लाइब्रेरियन)	
22	एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस/पढ़ाई के घंटे:	
	(अ) (क) कक्षा I से V	कार्य दिवसों की संख्या
		पढ़ाई के घंटों की संख्या
	(ख) कक्षा VI से VIII	कार्य दिवसों की संख्या
		पढ़ाई के घंटों की संख्या
	(ब) प्रति सप्ताह अध्यापक के कार्य घंटों की संख्या	
23	क्या विद्यालय गैर अनुरूप क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ, परिशिष्ट-1 के खंड (था) के अनुसार संबंधित एस.डी.एम.से प्रमाण पत्र।	हाँ/नहीं

(प्रबंधन समिति के अध्यक्ष/प्रबंधक के हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलग्नक (सभी अनिवार्य)

- (क) विद्यालय की प्रबंध समिति के सदस्यों की सूची उनकी योग्यता, व्यवसाय तथा पता प्रलेखीय प्रमाण सहित ।
- (ख) पंजीयक अधिकारी द्वारा जारी पंजीयक प्रमाण पत्र की प्रति ।
- (ग) विधिवत अनुमोदित/ रिकार्ड में उपलब्ध प्रबंधन योजना (एस .ओ. एम.) की प्रति।?
- (घ) स्थानीय सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की प्रति, जो आवेदन पत्र की तिथि से छह माह से पहले न जारी किया हो ।
- (ङ) दिल्ली जल बोर्ड/दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी पीने योग्य पानी के प्रमाण पत्र की प्रति, जो आवेदन की तिथि से छह माह से पहले न जारी किया हो ।
- (च) सभी विद्यार्थियों को स्वच्छ एवं प्रचुर पेय जल की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये विद्यालय द्वारा वचनवद्धता ।
- (छ) सक्षम स्थानीय प्राधिकरण (दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्/दिल्ली विकास प्राधिकरण इत्यादि) का संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र/भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र/भवन संपूर्ति प्रमाण पत्र/अधिभोग प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि से एक वर्ष से पहले न जारी हुआ हो ।
- (ज) अग्निशमन विभाग/स्थानीय सक्षम प्राधिकरण के अग्नि सुरक्षा मानकों संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति ।
- (झ) सक्षम प्राधिकरण का अनुमोदित/स्वीकृत भवन मानचित्र या पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार भवन मानचित्र जो प्रत्येक कक्ष की लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई दर्शाता हो ।
- (ञ) विद्यार्थियों का कक्षा वार नामांकन, फ्रीशिप स्थानों (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अलाभप्रद समूह) के विद्यार्थियों की संख्या सहित ।
- (ट) परिशिष्ट-II के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में भर्ती किए गए अध्यापकों का विवरण दें ।
- (ठ) वेतन बिल और बैंक खाता विवरण की प्रति जिसमें स्टाफ और अध्यापकों के वेतन चैकों की क्लियरेंस दर्शाई हो ।
- (ड) संबंधित बैंक/ वित्तीय संस्था द्वारा जारी ऋण प्रलेखों सहित पृथक पृष्ठ पर ऋण का विवरण, जो विद्यालय ने इन संस्थाओं से लिया है ।
- (ढ) पिछले तीन वर्षों के संपरीक्षित तुलन पत्र (बैलेंस शीट) ।
- (ण) विद्यालय द्वारा समिति को या किसी अन्य सहयोगी संस्था को हस्तांतरित निधि का विवरण ।
- (त) खेलकूद और क्रीडा उपकरणों की सूची ।
- (थ) एस.डी.एम. द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र की प्रति कि विद्यालय की भूमि मूल ग्राम सभा/दिल्ली विकास प्राधिकरण/सुरक्षित वन क्षेत्र भूमि/वन भूमि से संबंधित नहीं है ।
- (द) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पत्र की प्रति जो यह पुष्टि कर रही हो कि विद्यालय ने क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत भूमि के विनियमितकरण के लिये आवेदन किया है और इस पर विचार किया जा रहा है ।
- (ध) अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति, जो संबंधित शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, यदि अध्यापक मानकों और नियमों के अनुसार आयु की छूट की मांग करता है ।

नोट: उक्त लिखित सभी अनुलग्नकों की प्रतियां राजपत्रित अधिकारी एवं विद्यालय के प्रबंधक द्वारा प्रमाणित हों ।

दिनांक _____ को _____ (सोयायटी/न्यास का नाम) द्वारा चलाए जा रहे _____ (विद्यालय का नाम) के स्टाफ सदस्यों (शिक्षण तथा गैर शिक्षण) की सूची।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	वेतनमान ग्रेड पे सहित	स्नातक स्तर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर योग्यता एवं अंकों का प्रतिशत	भर्ती की पद्धति	जन्म तिथि	नियुक्ति की तिथि	नियुक्ति की तारीख को आयु (दिन—माह—वर्ष)	क्या अस्थाई/परिवीक्षाधीन/स्थाई	यदि स्थाई हैं तो स्थाईकरण की तिथि का	विषय विशेषज्ञता	निवास का पता	अभ्युक्ति :- क्या शिक्षण अनुभव के आधार पर आयु सीमा छूट अपेक्षित है या नहीं ? यदि हाँ, विवरण दें तथा संबंधित शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

अध्यक्ष /प्रबंधक के हस्ताक्षर

ई-मेल

प्रपत्र-II

फोन:

फैक्स:

जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय
(मंडल/संघ राज्य क्षेत्र का नाम)

संख्या
दिनांक

सेवा में

प्रबंधक

.....
.....

विषय:- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये दिल्ली निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के नियम 14 के उपनियम (5) के अन्तर्गत विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक _____ के आवेदन पत्र के संदर्भ में और विद्यालय के साथ अनुवर्ती पत्राचार/इस संबंध में निरीक्षण के आधार पर मैं _____ (विद्यालय का नाम व पता) को कक्षा _____ से कक्षा _____ तक के लिये वर्ष 20..... से 20..... तक तीन वर्षों की अवधि के लिए अस्थाई मान्यता प्रदान करने की सूचना देता /देती हूँ।

उक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन है:

1. मान्यता के लिये अनुमति बढ़ाई नहीं जा सकती है और विभाग किसी भी प्रकार से कक्षा VIII के उपरान्त मान्यता/सम्बद्ध करने के लिये बाध्य नहीं है ।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 और दिल्ली निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा ।
3. विद्यालय प्रथम श्रेणी में (या प्रवेश कक्षा में, जैसी भी स्थिति हो) उस कक्षा की संख्या के 25 प्रतिशत तक समीपवर्ती क्षेत्रों में कमजोर वर्ग और अलाभप्रद वर्ग से सम्बन्धित बच्चों को प्रवेश देगा और माध्यमिक शिक्षा के पूरे होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देगा ।
4. अनुच्छेद 3 में संदर्भित बच्चों के लिये अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी । ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक अलग से बैंक खाता खोलेगा ।

5. सोसायटी/विद्यालय किसी प्रकार का कैंपीटेशन शुल्क एकत्रित नहीं करेगी/करेगा और न ही बच्चा या उसके माता-पिता या संरक्षक किसी प्रकार की जांच पद्धति के अधीन होंगे ।
6. विद्यालय आयु प्रमाण के आधार पर किसी बच्चे के प्रवेश के लिये मना नहीं करेगा और अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का अनुपालन करेगा । विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :-
 - (i) विद्यालय में माध्यमिक शिक्षा की पूर्ति होने तक प्रवेश किये गए किसी भी बच्चे को किसी श्रेणी में अवनत नहीं किया जाएगा या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा ।
 - (ii) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा ।
 - (iii) माध्यमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करनी अपेक्षित नहीं होगी ।
 - (iv) माध्यमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 22 में उल्लिखित प्रमाण-पत्र दिया जाएगा ।
 - (v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों / निःशक्तताग्रस्त बच्चों शामिल हों ।
 - (vi) अधिनियम की धारा 23(1) के अन्तर्गत यथानिर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं वाले अध्यापक भर्ती किये गये हैं । आगे शर्त यह है कि वर्तमान अध्यापक जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं नहीं रखते हैं, वे 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं अर्जित करेंगे ।
 - (vii) अधिनियम की धारा 24(1) के अन्तर्गत अध्यापक अपने विनिर्दिष्ट दायित्व निर्वहन करेगा ।
 - (viii) अध्यापक अपने आप को निजी शैक्षिक कार्यकलापों (प्राइवेट ट्यूशन) में नहीं लगाएगा ।
7. विद्यालय उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर सिलेबस का अनुसरण करेगा ।
8. विद्यालय शिक्षा के लिये त्रिभाषा सूत्र का पालन करेगा ।
9. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र कि विद्यालय भवन नवीनतम राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार निर्मित किया गया है, तीन माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।
10. विद्यालय की प्रबन्धकारिणी विद्यालय के प्रबन्धक और जिला शिक्षा अधिकारी (उप-शिक्षा निदेशक, सम्बन्धित मण्डल) के नाम पर संयुक्त खाता सावधि जमा राशि के रूप में एक आरक्षित निधि सृजित करेगा, जिसमें इस पत्र के जारी होने से तीन माह के भीतर स्टाफ के तीन माह के वेतन या एक लाख रुपये तथा 80 रुपये प्रति विद्यार्थी के बराबर राशि होगी ।
11. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि अग्नि सुरक्षा उपकरण एवं प्रबन्ध शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देशों / परिपत्रों के अनुसार बनाए गए हैं ।
12. विद्यालय के विद्यार्थियों को लाने ले जाने के लिये किए गए प्रबन्धों के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का विद्यालय अनुपालन करेगा ।
13. स्टाफ को वेतन रेखांकित चैक/इलैक्ट्रॉनिक क्लियरेंस प्रणाली से दिया जाएगा ।
14. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथानिर्दिष्ट मानकों और मानदण्डों का पालन करेगा । पिछले निरीक्षण के समय बताई गई सुविधाएं निम्न प्रकार हैं :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल --

कुल निर्मित क्षेत्रफल --

खेल के मैदान का क्षेत्रफल --

कमरों की संख्या--

मुख्याध्यापक एवं कार्यालय एवं भंडार के लिए कमरे --

लड़के और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय --

पीने के पानी की सुविधा--

दोपहर का भोजन पकाने के लिए रसोई--

अवरोध मुक्त पहुंच --

शिक्षण सामग्री /खेल सम्बन्धी उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता --

15. उसी विद्यालय के नाम से विद्यालय परिसर या उसमें बाहर कोई भी गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगीं
16. विद्यालय भवन या अन्य ढांचों या मैदानों का उपयोग केवल शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए ही किया जाएगा ।
17. विद्यालय, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन पंजीकृत सोसायटी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सार्वजनिक न्यास द्वारा चलाया जाता हो ।
18. विद्यालय किसी व्यक्ति विशेष, समूह या व्यक्तियों की संस्था या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के लिए नहीं चलाया जा रहा हो ।
19. चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा की जानी चाहिए तथा उन्हें प्रमाणित किया जाना चाहिए एवं नियमानुसार उचित लेखा विवरण तैयार किया जाना चाहिए ।
20. आपके विद्यालय को आबंटित किया गया मान्यता कोड संख्या.....है ।
21. विद्यालय, शिक्षा निदेशक /जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर यथापेक्षित रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है तथा समुचित सरकार /स्थानीय प्राधिकरण के ऐसे निदेशों का पालन करता है, जो मान्यता में जारी रखने की शर्तों को पूरा करने या विद्यालय की कार्य प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाते हैं ।
22. सोसायटी के पंजीकरण का नवीनीकरण (यदि हो) सुनिश्चित किया जाए ।
23. संलग्न परिशिष्ट के अनुसार अन्य शर्तें ।

भवदीय

(जिला शिक्षा अधिकारी)

[TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA-ORDINARY]

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF EDUCATION
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054**

Dated: 23/11/2011.

NOTIFICATION

No.DE.23(462)/Sch.Br./10/ 17 - 33 In exercise of the powers conferred by section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules, namely :-

- 1. Short title, extent and commencement.** (1) These Rules may be called the Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

(3) They extend to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

**PART I
PRELIMINARY**

- 2. Definitions.** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,
 - (a) "Act" means the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009);
 - (b) "Appointed date" means the date on which the Act comes into force, as notified in the Official Gazette;
 - (c) "Chapter", "Section", and "Schedule" means respectively chapter, section and schedule to, the Act;
 - (d) "Director" means the Director of Education, Delhi and includes any other officer authorised by him to perform all or any of the functions of the Director under the Act;

(e) “District Education Officer” means Deputy Director of Education, Delhi who is the incharge of any District or any other officer authorised in this regard;

(f) “Pupil Cumulative Record” means record of the progress of the child based on comprehensive and continuous evaluation;

(g) “School Mapping” means planning school location to overcome social barriers and geographical distance;

(h) “Government” means the Government of National Capital Territory of Delhi;

(i) “Local authority” means the authority notified as Local Authority.

(j) “NCT of Delhi” means National Capital Territory of Delhi.

(2) All references to “forms” in these rules shall be construed as references to forms set out in Appendix hereto.

(3) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

PART II

SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE

3. Composition and functions of the School Management Committee.

(1) A School Management Committee (hereafter in this rule referred to as the said committee) having not less than 16 members shall be constituted in every school, other than an unaided school, within six months of the coming into force of these rules and reconstituted every two years:

Provided that fifty percent of the members of this committee shall be women.

Provided further that there shall be a proportionate representation of parents/guardians of children belonging to disadvantaged group and weaker sections.

Provided also that the committee’s role would be limited to elementary education level.

(2) Seventy five percent of the strength of the School Management Committee shall be from amongst parents or guardians of children.

(3) The remaining twenty five percent of the strength of the School Management Committee shall be from amongst the following persons, namely :-

- (a) One member of the committee shall be an elected representative of the local authority;
- (b) Head of the school shall be the member of the committee;
- (c) One member of the committee shall be a teacher of the school to be decided by the teachers of school;
- (d) One member shall be a social worker involved in the field of education.

(4) The following teachers of school shall be included in the School Management Committee as special invitee.

- (i) One social science teacher.
- (ii) One science teacher.
- (iii) One mathematics teacher.

(5) To manage its affairs, the School Principal shall be the ex-officio Chairperson of the School Management Committee. Vice Chairperson shall be from among the parent members. The member teacher of the committee shall act as the convenor.

(6) The said Committee shall meet at least once in two months and the minutes and decisions of the meetings shall be properly recorded and made available to the public.

(7) The said Committee shall, in addition to the functions specified in clauses (a) to (d) of sub section (2) of section 21 of the Act, perform the following functions, namely:-

- (a) Communicate in simple and creative ways to the population in the neighbourhood of the school, the right of the child as enunciated in the Act; as also the duties of the Government , Local Authority, school, parents and guardian;
- (b) Ensure the implementation of clauses (a) and (e) of section 24 and section 28 of the Act;
- (c) Monitor that teachers are not burdened with non academic duties other than those specified in section 27 of the Act;
- (d) Ensure the enrolment and continued attendance of all the children from the neighbourhood in the school;

(e) Monitor the maintenance of the norms and standards specified in the Schedule;

(f) Bring to the notice of the Government or local authority as the case may be any deviation from the rights of the child, in particular mental and physical harassment of children, denial of admission, and timely provision of free entitlements as per section 3(2) of the Act;

(g) Identify the needs, prepare a plan, and monitor the implementation of the provisions of section 4 of the Act;

(h) Monitor the identification and enrolment of, and facilities for education of children with disabilities and ensure their participation in, and completion of elementary education;

(i) Monitor the implementation of the mid-day meal in the school.

(8) Money if received by the said committee for the discharge of functions under the Act, shall be kept in a separate account, to be audited annually.

(9) The accounts referred to in sub-rule (8) should be signed by the Chairperson/Vice Chairperson and Convenor of the School Management Committee and made available to the authority releasing the fund within one month of their preparation.

4. Preparation of School Development Plan. (1) The School Management Committee shall prepare a School Development Plan at least three months before the end of the financial year in which it is first constituted under the Act.

(2) The School Development Plan shall be a three year plan comprising of three annual sub plans.

(3) The School Development Plan shall contain the following details, namely:-

(a) estimates of class wise enrolment for each year.

(b) requirement of the number of additional teachers, including subject teachers and part time teachers etc., separately for classes I to V and classes VI to VIII, calculated with reference to the norms specified in the Schedule.

(c) physical requirement of additional infrastructure and equipments, calculated with reference to the norms and standards specified in the Schedule.

(d) financial requirement in respect of (b) and (c) above, including additional requirement for providing special training facility specified in section 4 of the Act, entitlements of children such as free text books and uniforms, and any other additional financial requirement for fulfilling the responsibilities of the school under the Act.

(4) The School Development Plan shall be signed by the Chairperson and Vice Chairperson of the School Management Committee and submitted to the Appropriate Authority before the end of the financial year in which it is prepared.

PART III

RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION

5. Special Training. (1) The School Management Committee of a school owned or managed by the Government or the local authority shall identify children requiring special training and organise such training in the following manner, namely:-

- (a) the special training shall be based on specially designed, age appropriate learning material, approved by the academic authority specified in sub-section (1) of section 29 of the Act;
- (b) the said training shall be provided in classes held in the premises of the school or in classes organised in safe residential facilities;
- (c) the said training shall be provided by teachers working in the school, or by teachers specially appointed for the purpose;
- (d) the duration of the said training shall be for a minimum period of three months which may be extended, based on periodical assessment of learning progress, for a maximum period not exceeding two years.

(2) The child shall, upon induction into the age appropriate class after special training continue to receive special attention by the teacher to enable him/her to successfully integrate with the rest of the class, academically and emotionally.

PART IV

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITY

6. Areas or limits of neighbourhood. (1) The areas or limits of neighbourhood within which a school has to be established in NCT of Delhi shall be as under :-

- (a) in respect of children in classes I to V, a school shall be established as far as possible within a radial distance of one km. from the residence of the child;
- (b) in respect of children in classes VI to VIII, a school shall be established, as far as possible, within a radial distance of three km. from the residence of the child.

(2) Wherever required, the Government may upgrade existing schools with classes I-V to include classes VI-VIII. In respect of schools which start from class VI onwards the Government may endeavour to add classes I to V, wherever required. The Government may issue directions from time to time to the local authority for up gradation of schools.

(3) In the areas having high population density, the Government or the Local Authority may consider establishment of more than one neighbourhood school, having regard to the number of children in the age group of 6-14 years in such places.

(4) The Government/ Local Authority shall identify the neighbourhood school (s) where children can be admitted and make such information public for each habitation within its jurisdiction.

(5) In respect of children with disabilities which prevent them from accessing the school, the Government or the Local Authority as the case may be shall make appropriate and free transportation arrangements to enable them to attend school and complete elementary education.

(6) The Government or the Local Authority shall ensure that access of children to the school is not hindered on account of social and cultural factors.

7. Academic responsibility of the State Government. The Government shall notify an academic authority for developing the curriculum and evaluation procedure for elementary education.

8. Responsibility of Government and Local Authority. (1) A child attending a school of the Government or local authority referred to in sub-clause (i) of clause (n) of section 2, a child attending a school referred to in sub-clause (ii) of clause (n) of section 2 in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 12 and a child attending a school referred to in sub-clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 in pursuance of clause (c) of sub section (1) of section 12 shall be entitled to free text books, writing material and uniform:

Provided that a child with disabilities shall also be provided free special learning and support material.

Explanation: In respect of the child admitted in pursuance of clause (b) of sub section (1) of section 12 and a child admitted in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of section 12, the responsibility of providing the free entitlement shall be of the school referred to in sub-clause (ii) of clause (n) of section 2 and of sub-clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2, respectively.

(2) For the purpose of determining and for establishing neighbourhood schools, the Local authority shall undertake school mapping and identify all children, including children in remote areas, children with disabilities, children belonging to disadvantaged group, children belonging to economically weaker sections and children referred to in section 4, within a period of one year from the date of notification, and every year thereafter.

(3) The Government/Local authority shall ensure that no child is subjected to caste, class, religious or gender abuse in the school.

(4) For the purpose of clause (c) of section 8 and clause (c) of section 9, the Government/Local Authority shall ensure that a child belonging to a weaker section, a child belonging to disadvantaged group and child with special needs is not segregated or discriminated against in the classroom, during mid day meals, in the play grounds, in the use of common drinking water and toilet facilities.

9. Maintenance of records of children by the Local Authority. (1) The Local Authority shall maintain a record of all children, in its jurisdiction through a household survey, from their birth till they attain the age of 14 years.

(2) The record, referred to in sub-rule (1) shall be updated annually

(3) The record referred to in sub rule (1) shall be maintained transparently in the public domain and used for the purposes of clause (e) of section 9.

(4) The record, referred to in sub-rule (1) shall in respect of every child, include -

(a) name, sex, date of birth, place of birth

(b) parents/guardian names, address, occupation

(c) pre-primary school/anganwadi centre that the child attends

- (d) elementary school where the child is admitted
 - (e) present address of the child
 - (f) class in which child is studying (for children between 6-14) and if education is discontinued in the territorial jurisdiction of the Local Authority, the cause of such discontinuance
 - (g) whether the child belongs to weaker section.
 - (h) whether the child requires special facilities or residential facilities on account of (a) migration and sparse population; (b) age appropriate admission; and (c) disability.
- (5) The Local Authority shall ensure that the records of all children enrolled in the schools under its jurisdiction are maintained in each school.

PART V

RESPONSIBILITIES OF SCHOOLS AND TEACHERS

10. Admission of children belonging to weaker section and disadvantaged group. (1) The school referred to in clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 shall ensure that children admitted in accordance with clause (c) of sub-section (1) of section 12 shall not be segregated from other children in the classrooms nor shall their classes be held at places and timings different from the classes held for the other children.

(2) The school referred to in clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 shall ensure that children admitted in accordance with clause (c) of sub-section (1) of section 12 shall not be discriminated from the rest of the children in any manner pertaining to entitlements and facilities such as text books, uniforms, library and information and communication technology facilities, extra-curricular activities and sports.

(3) The area or limits of neighbourhood specified in sub-rule (1) of rule 6 shall apply to admissions made in accordance with clause (c) of sub-section (1) of section 12.

Provided that the Government may, for the purposes of filling up the requisite percentage of seats for children referred to in clause (c) of sub-section (1) of section 12 extend these limits of neighbourhood from time to time.

(4) The Government may prescribe the procedure for admission of children under clause (c) of sub-section (1) of section 12 by official notification issued from time to time.

11. Reimbursement of per-child expenditure by the Government. (1)

The total annual recurring expenditure incurred by the Government, whether from its own funds or funds provided by the Central Government or by any other authority, on elementary education in respect of all schools referred to in sub clause (i) of clause (n) of section 2 divided by the total number of children enrolled in all such schools, shall be the per child expenditure incurred by the Government.

Explanation: For the purpose of determining the per child expenditure, the expenditure incurred by the Government or the Local Authority on schools referred to in sub-clause (ii) of clause (n) of section 2 and the children enrolled in such schools shall not be included.

(2) Every school referred to in clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 shall maintain a separate bank account in respect of the amount received by it as reimbursement under sub-section (2) of section 12 of the Act.

(3) The schools mentioned in second proviso of sub-section (2) of section 12 shall continue to fulfil their obligation for providing free education beyond elementary education and till completion of secondary/senior secondary education, as the case may be, and shall not be entitled for reimbursement to the extent of their obligation.

12. Documents as age proof. Wherever a birth certificate under the Births, Deaths and Marriages Certification Act, 1886 is not available, any one of the following documents shall be deemed to be proof of age of the child for the purpose of admission in schools-

- (a) hospital/Auxiliary Nurse and Midwife (ANM) register record,
- (b) anganwadi record,
- (c) declaration of the age of the child by the parent or guardian.

13. Extended period for admission. (1) Extended period of admission shall be five months from the date of commencement of the academic year of a school.

(2) Where a child is admitted in a school after the extended period, he or she shall be eligible to complete studies with the help of special training, as determined by the head of the school.

14. Recognition of schools. (1) Every recognised school, other than a school established, owned or controlled by the Government or Local Authority, established and functioning before the commencement of the Act shall be deemed to be recognised under section 18 of the Act. However, each such school shall make a self declaration within a period of two months of the Notification of these rules in Form 1 (A) to the concerned District Education Officer regarding its compliance or otherwise with the norms and standards specified in the Schedule and fulfilment of the following conditions namely:-

- (a) The school is run by a society registered under the Societies Registration Act 1860 (21 of 1860) or a Public Trust constituted under any law for the time being in force;
- (b) The school is not run for profit to any individual, group or association of individuals or any other persons;
- (c) The school conforms to the values enshrined in the Constitution;
- (d) The school buildings or other structures or the grounds are used only for the purpose of education and skill development.
- (e) The school is open to inspection by any authorised officer of Directorate of Education or Local Authority.
- (f) The school furnishes such reports and information as may be required from time to time and complies with such instructions of Government or local authority as may be issued to secure the continued fulfilment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school;

(2) Every self declaration received in Form 1(A) shall be reviewed by the concerned District Education officer.

(3) During the course of annual inspection or otherwise if the concerned officer observes that school does not conform to the norms and standards and conditions mentioned in sub-rule(1) but has submitted self declaration Form 1(A) stating conformation with norms, a suitable action shall be initiated by the District Education Officer.

(4) Schools which do not conform to the norms, standards and conditions mentioned in sub rule (1) within three years from the commencement of the Act shall cease to function.

(5) Every school, other than a school established, owned or controlled by the Government or local authority, established after the commencement of the Act and existing unrecognised schools shall conform to the norms and standards and conditions mentioned in sub-rule (1) in order to qualify for recognition. Such school shall apply for recognition in Form 1(B) to the Director of Education or any person authorised by him. Schools found to be conforming to the norms, standard and the condition shall be granted recognition by Appropriate Authority in Form 2. In case the application is rejected the reasons thereof shall be intimated to the applicant.

15. Withdrawal of recognition to school. (1) Where the concerned District Education officer on his own motion, or on any representation received from any person, has reason to believe, to be recorded in writing, that a school recognised under rule 14, has violated one or more of the conditions for grant of recognition or has failed to fulfil the norms and standards specified in the Schedule, the said officer shall act in the following manner:--

(a) Issue a notice to the school specifying the violations of the condition of grant of recognition and seek its explanation within one month.

(b) In case the explanation is not in conformity with the norms and standards as specified in the Schedule or no explanation is received within the stipulated time period, the concerned District Education Officer may cause an inspection of the school, to be conducted by a Committee of three to five members which shall make due inquiry and submit its report, along with its recommendations for continuation of recognition or its withdrawal, to the Director of Education who may pass an order for continuation of recognition or withdrawal, as the case may be :

Provided that no order for withdrawal of recognition shall be passed without giving the school adequate opportunity of being heard;

Provided further that no such order shall be passed by the said officer without prior approval of the Government.

(2) The order of withdrawal of recognition passed shall be operative from the immediately succeeding academic year and shall specify the neighbourhood schools to which the children of that school shall be admitted.

PART VI

TEACHERS

16. Minimum Qualifications The minimum qualifications for persons to be eligible for appointment as a teacher as laid down by the academic authority notified by the Central Government in pursuance of sub section (1) of section 23 shall be applicable for every school referred to in clause (n) of section 2 whereas Government may prescribe higher qualifications for appointment of teachers under section 23 to ensure better quality of education.

17. Salary and allowances and conditions of service of teachers. The Government or the local authority, as the case may be, shall notify terms and conditions of service and salary and allowances of teachers in order to create a professional and permanent cadre of teachers.

18. Duties performed by teachers. (1) A teacher in addition to the functions specified in clauses (a) to (e) of sub-section (1) of section 24, may perform the following duties:-

- (a) Participation in training programmes;
- (b) Participation in curriculum formulation, and development of syllabi, training modules and text book development;
- (c) Any other duty as may be prescribed by the Government from time to time.

(2) The teacher shall maintain a file containing the pupil cumulative record for every child which shall be the basis for awarding the certificate for completion of elementary education.

19. Maintaining pupil-teacher ratio. The sanctioned strength of teachers in a school shall be notified by the Government or the local authority, as the case may be, by the 31st December every year taking in view the enrolment of the children as on 31st August of that year:

Provided that the Government or the local authority, as the case may be, shall, within three months of such notification, re-deploy teachers of schools having a strength in excess of the sanctioned strength prior to such notification.

20. Grievance Redressal for Teachers

The Government may prescribe the grievance redressal mechanism for teachers by notification issued from time to time.

PART VII

CURRICULUM AND COMPLETION OF ELEMENTARY EDUCATION

21. Academic Authority. (1) The Government shall notify an academic authority for the purpose of sub-section (1) of section 29 of the Act.

(2) While laying down the curriculum and evaluation procedure, the academic authority notified under sub-rule (1) shall

- (a) formulate the relevant and age appropriate syllabus and text books and other learning material;
- (b) develop inservice teacher training design, and;
- (c) prepare guidelines for putting into practice continuous and comprehensive evaluation.

(3) The academic authority referred to in sub-rule (1) shall design and implement a process of holistic school quality assessment on a regular basis.

22. Award of certificate. (1) The certificate of completion of elementary education shall be issued at the school level within one month of the completion of elementary education.

(2) The certificate referred to in sub- rule (1) shall contain the pupil cumulative record of the child.

PART VIII

PROTECTION OF RIGHT OF CHILDREN

23. Performance of functions by Delhi Commission for Protection of Child Rights-

The Government shall provide resource support to the Delhi Commission for Protection of Child Rights in performance of its functions under the Act.

24. Manner of furnishing complaints before the Delhi Commission for Protection of Child Rights. The Delhi Commission for Protection of Child Rights may set up a child helpline to register complaints regarding violation of rights of the child under the Act, which may be monitored by it through a transparent on-line mechanism.

25. Constitution of the State Advisory Council (1) The State Advisory Council (here in after referred to as the Council) shall consist of a Chairperson and fourteen Members.

(2) The Minister of Education, Government of National Capital Territory of Delhi shall be the ex-officio Chairperson of the Council.

(3) Members of the Council shall be appointed by the Government from amongst persons having knowledge and practical experience in the field of elementary education and child development, as under:

(a) at least three members should be from amongst persons belonging to SC, ST and Minorities respectively;

(b) at least one member should be from amongst persons having specialized knowledge and practical experience of education of children with special needs;

(c) one member should be from amongst persons having specialised knowledge in the field of pre-primary education;

(d) at least one member should be from amongst persons having specialized knowledge and practical experience in the field of teacher education;

(e) the following shall be ex-officio members of the Council

(i) Secretary (Education), Government of NCT of Delhi

(ii) Director (Education), Government of NCT of Delhi

(iii) Director, State Council for Educational Research and Training, Delhi.

(iv) Chairperson, State Commission of Protection of Child Rights.

(f) State Project Director, Sarv Shiksha Abhiyan shall be a Member of the Council;

(g) One third of all members shall be women;

(h) Additional Director of Education (Schools), Government of NCT of Delhi shall be ex-officio member Secretary of the Council.

(4) The Council may especially invite representatives of other related Departments as required.

(5) The terms and conditions of appointment of Members of the State Advisory Council shall be such as notified by Government from time to time.


PART IX

Miscellaneous

26. Power to issue instructions: The Director may, if he is of opinion that in order to implement the provisions of the Act in Delhi it is necessary to do so, issue such instructions in relation to any matter, not covered by these rules, as he may deem fit.

27. Delegation of Powers: The Government may delegate all or any of its powers under the rules to the Director or any other officers authorised by notification.

By order and in the name of
Lt. Governor of NCT of Delhi,




(SURESH GUPTA)
Additional Secretary (Education)

No.DE.23 (462) Sch. Br./2010/17-33

Date: 23/11/2011

Copy to:

1. Secretary, MHRD, Govt. of India
2. Pr. Secretary to Lieutenant Governor, GNCT of Delhi
3. Pr. Secretary to Chief Minister, GNCT of Delhi
4. Secretary to Minister of Education, GNCT of Delhi
5. OSD to Chief Secretary, GNCT of Delhi
6. Pr. Secretary (Education), GNCT of Delhi
7. Director of Education, GNCT of Delhi
8. Director (Education), Municipal Corporation of Delhi
9. Director (Education), New Delhi Municipal Council
10. Chief Executive Officer, Delhi Cantonment Board
11. Director, Dte. Of Information and Publicity, GNCT of Delhi
12. All Addl. Directors/RDEs/JDEs/DDEs/ADEs, Dte. Of Education, GNCT of Delhi
13. All Branch Incharges, Dte. Of Education, GNCT of Delhi
- ✓14. OS (IT) with the request to place it on the website of Dte. of Education.
15. Guard File.



(SURESH GUPTA)
Additional Secretary (Education)

APPENDIX

FORM-1(A)
SELF-DECLARATION FORM FOR RECOGNIZED SCHOOL
 (see sub-rule (1) of rule(14))

To,

The Director of Education,
 Directorate of Education,
 Government of NCT of Delhi.

Sir,

I forward herewith a self-declaration form regarding compliance with the norms and standards prescribed under the **Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009** for recognition to

(Name of school).....

.....(Address)

With effect from the commencement of the Academic year 20.....-20.....

Note: - Before filling-up the self-declaration form, the management may refer to the **Right of Children for Free and Compulsory Education Act, 2009**, thoroughly.

A. SCHOOL DETAILS		
1.	Name of school with school I.D. NO.	
2	Aided/ Unaided	
3	District & Zone	
4	Postal address	
5	Pin Code	
6	Phone No. with STD Code	
7	Fax No.	
8	E-mail address, if any	
B. GENERAL INFORMATION		
1.	Date of First Opening of School. (DD/MM/YYYY)	

2	Name of Trust/Society running the School.	
3	Whether Proof of non-proprietary character of the Trust/Society is attached?	Yes/No (Please Tick)
4	Whether list of members of Managing Committee with their addresses qualification & occupation is attached ?	Yes/No (Please Tick)
5	Whether SOM approved ?	Yes/No (Please Tick)
6	Details of Manager of the school :-	
	(a) Name :-	
	(b) Address :-	
	(c) Academic Qualification (proof to be attached)	
	(d) Teaching Experience (in years, along with experience certificate countersigned by EO/DEO)	
	(e) Administrative Experience (in years)	
	(f) Phone (s)	(OFFICE) (RES.) (MOBILE)
7	Statement of Income and Expenditure (last three years) as per Balance Sheet (Audited & Certified by a Registered Chartered Accountant)	
	Year	Income
	Expenditure	Surplus/Deficit
C. NATURE & AREA OF SCHOOL		
1	Medium of Institution	
2	Type of School (specify entry & exit classes).	
3	If Aided, the name of Govt./Agency/Deptt., from which Aid is being received and percentage of Aid	

4	Whether the school is being run by society at its own land & building or on rent/lease basis ?	Owned or Rent/Lease (Please Tick)
5	Whether the school building or other structures or the play ground are used only for the purpose of education and skill development?	Yes/No (Please Tick)
D. Land & Building details (Area in Sq. Mtrs).		
1. Total Number of Rooms.		
2. Number of Classrooms.		
3. Head-Teacher/Principal Room		
4. Staff Room.		
5. Office Room.		
6. Store Room.		
7. Laboratory, if any,		
8. Whether School has boundary wall?		Yes/No (Please Tick)
If not, whether the school has proper fencing?		Yes/No (Please Tick)
9.Total Area of School- Land including Building & Play Ground		
10. Area of constructed School Building		
11. Total covered area of the School Building (including all floors).		
12. Area of Play Ground.		
E. Other Facilities :-		
1	Whether all facilities have barrier free access ?	Yes/No (Please Tick)
2	Library :	
	(i) Number of Books in Library	
	(ii) Number of newspapers (daily subscription)	
	(iii) Number of magazines (monthly subscription).	

3	Whether the list of Sports & Play equipments attached or not?	Yes/No (Please Tick)
4	(i) Number of Toilets for Boys.	
	(ii) Number of Toilets for Girls	
	(iii) Number of Toilets for CWSN(Person with disabilities)	
5	Whether safe and adequate drinking water facilities is available to all Children and Staff?	Yes/No (Please Tick)
6	Whether Teaching Learning Material is available	Yes/No (Please Tick)
7	Whether Kitchen is available ?	Yes/No (Please Tick)
F. Teacher and Student Ratio :		Total Number of Subject Teacher ----- Total Number of Students
	(a) Class I to V	Ratio :
	(b) Class VI to VIII	Ratio :
	Note :- The Teacher do not include Lab Assistant, Coaches & Clerical Account Staff etc.	
G. Details of Teachers :-		Number
	(a) Principal/ Headmaster	
	(b) TGT (s)	
	(i) English	
	(ii) Hindi	
	(iii) Sanskrit or any other Language (as per three Language formula)	
	(iv) Natural Science	
	(v) Social Science	
	(vi) Mathematics	
	(c) Asstt. Teachers	
	(d) PET	
	(e) Work Education Teacher	
	(f) Art Education Teacher.	

H. Class wise Enrollment of Students :-				
	Class	Number of Sections	Number of Students Enrolled	Number of Students under EWS and Disadvantaged Group Quota
	Pre-Primary			
	I			
	II			
	III			
	IV			
	V			
	VI			
	VII			
	VIII			
	Total			
I. Working days/Instructional hours in an academic year				
1	(a) Class I to V		Number of working days	
			Number of Instructional hours.	
	(b) Class VI to VIII		Number of working days	
			Number of Instructional hours.	
2	Number of working hours for the teacher per week		Primary Teachers	
			TGTs/PGTs.	

1. It is to undertake that the school is open for inspection by any officer authorized by the appropriate authority.
2. Certified that the school undertakes to furnish such reports and information as may be required by the Director of Education from time to time and complies with such instructions of the appropriate authority or the D.D.E or Education Officer as may be

issued to secure the continued fulfilment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school.

3. Certified that records of the school pertinent to the implementation of this Act shall be open to inspection by any officer authorized by the Directorate of Education or appropriate authority at any time, and the school shall furnish all such information as may be necessary to enable the Central and/or State Government/Local Body or the Administration to discharge its or his obligations to Parliament/ Legislative Assembly of the State/Panchayat/ Municipal Corporation, as the case may be.

Total No. of Enclosures:

Place :

Dated :

Signature with Stamp of the Manager

APPLICATION FORM FOR RECOGNITION

TO,

The Director,
Directorate of Education,
Govt. of NCT of Delhi,
Old Sectt., Delhi.

Sir,

I am forwarding herewith an application in the prescribed proforma for the grant of recognition to (name of school) _____
(address of the school) _____
(Pin code) _____ with effect from the commencement of the school year _____.

Yours faithfully,

(Chairman of Managing Committee/Manager)

Place:

Date:

PROFORMA FOR RECOGNITION

1	Name of the society/trust/association	
2	Name of the District in which school is situated	
3	Name of the Zone in which school is situated	
4	School address for correspondence	
(All fields mandatory except (*) marked fields.)		
House No.		Street No.*
Village		State Name
		Sector*
		Pin Code
5	Whether EC issued for the school. (If yes, attach copy of EC, if minority institution attach Minority Certificate)	
6	Recognition is desired up to Middle / Secondary / Sr. Secondary (Mention Streams)	
7	Registration No. of Society/Trust	
8	(a) Name of the Manager of the school	
	(b) Contact No. of Manager	
	(c) Academic Qualification of the Manager	
	(d) Experience detail of the Manager (Enclose documentary proof) Teaching experience _____ years Administrative experience _____ years	
9	Date of issue of letter for approval of Scheme of Management by Directorate of Education	
10	Total Area of the school campus with all the supporting documents of land and building. (In sq. mt. only)	
	(i) Whether the land is owned by Society or taken on lease basis	
	(ii) Total area of school-campus including building & play ground	
	(iii) Area of constructed school building only	
	(iv) Area of Play Ground only.	
11	Accommodation provided in the school building. (in numbers/numericals)	
	(a) Number of class rooms.	
	(b) School library and Reading room	
	(c) Biology lab.	
	(d) Physics lab.	
	(e) Chemistry lab.	
	(f) Computer lab.	

	(g) Science Activity lab for Middle and Secondary classes			
	(h) Maths Activity lab			
	(i) Social Science Activity lab			
	(j) Auditorium/Hall.			
	(k) Staff room.			
	(l) Rooms for Head of school			
	(m) Office room			
	(n) Whether all facilities have barrier free access			
	(o) Details of Toilets in school			
	Boys			
	Girls			
	P.H.			
12	Total enrollment of students			
13	Whether qualified and eligible staff is recruited by school as per recruitment rules?			
14	Whether the school is paying salary to its staff as per 6 th Pay Commission through ECS/crossed cheque?	Yes/No		
15	Whether the school has raised secured/unsecured loan?	Yes/No		
16	Details of income and expenditure accounts of the school for the last three years.	Income	Expenditure	
	First year			
	Second year			
	Third year			
17	Whether the school is transferring any fund to the society or its sister concern?	Yes/No		
18	Whether the school is claiming depreciation? (a) If yes, details of Depreciation Reserve Bank Account	Yes/No		
19	Other facilities			
	Norms	Particulars to be submitted by the school		
	(a) Number of desks, fans and tube lights provided in each classroom	Desks	Fans	Tube Lights
	(b) Library	No. of books	No. of Magazines	No. of Newspapers
	(c) Whether Teaching Learning material is available?	Yes/No		
	(d) Whether kitchen available?	Yes/No		

20	Student Teacher Ratio : (Total number of students/Total Number of subject Teacher)		Ratio
	Class I to V		
	Class VI to VII		
	(Note : The teachers do not include lab assistant, coaches and clerical/accounts staff etc.)		
21	Number of Teachers in various categories:		
	a) Headmaster/Headmistress		
	b) PGTs		
	c) TGTs		
	i) English		
	ii) Hindi		
	iii) Natural Science		
	iv) Social Science		
	v) Maths		
	d) Asstt. Teachers		
	e) Physical Education Teacher		
	f) Work Education Teacher		
g) Art Education Teacher			
h) Librarian			
22	Working Days/instructional hours in an academic year:		
	A) a) Class I to V I	Number of working days	
		Number of Instructional hours	
	b) Class VI to VIII	Number of working days	
		Number of Instructional hours	
	B) Number of working hours for the teacher per week		
23	Whether the school is situated in Non-conforming Area. If yes, certificate from concerned SDM as per clause (q) of Annexure I.		Yes/No

Place:

Date:

(Signature of Chairman of Managing Committee/Manager)

ANNEXURE I**ENCLOSURES TO BE ATTACHED ALONG WITH APPLICATION (ALL MANDATORY)**

- (a) List of the members of managing committee of the school with their qualifications, occupations and addresses along with the documentary proof.
- (b) Copy of Registration Certificate issued by Registrar of Society.
- (c) Copy of duly approved/recorded scheme of management.
- (d) Copy of Health Certificate from Local Competent Authority, issued not before six months from the date of application.
- (e) Copy of certificate from Delhi Jal Board/MCD for safe drinking water not issued before six months from the date of application.
- (f) Undertaking by the school for provision of safe and adequate drinking water facilities to all students.
- (g) Copy of Structural Stability Certificate/Building Safety Certificate/Building Completion Certificate/Occupancy Certificate from Local Competent Authority (MCD/NDMC/DDA etc.) issued not before one year from the date of application.
- (h) Copy of NOC regarding Fire Safety Norms from Fire Department/Local Competent Authority.
- (i) Approved/Sanctioned building plan from Competent Authority or building plan prepared by registered Architect showing the dimensions of each room.
- (j) Class-wise enrollment of the students along with number of students under freeship seats (EWS/Disadvantaged Group).
- (k) Details of the teachers recruited in the prescribed form as per ANNEXURE II.
- (l) Copy of Pay Bills and Bank Account Statement showing the clearance of salary cheques of staff and teachers.
- (m) The details of the loan (Secured/Unsecured) taken by the school on separate sheet (year wise) along with loan documents issued by concerned bank/financial institution.
- (n) Audited Balance Sheets of last three years.
- (o) Details of the fund transferred to the society or to any sister concern by the school.
- (p) List of sports and play equipments.
- (q) Copy of Certificate from SDM concerned to the effect that the land of school does not belong to original Gram Sabha/DDA/Protected Ridge Land/Forest Land.
- (r) Copy of letter from DDA confirming the school has applied for regularization of land under Zonal Development Plan and it is being considered.
- (s) Copy of experience certificate countersigned by concerned education officer in case teacher seeks age relaxation as per norms and rules.

Note: All the above mentioned copies of enclosures must be attested by the Gazetted Officer and Manager of the school.

ANNEXURE-II

LIST OF STAFF MEMBERS (TEACHING AS WELL AS NON TEACHING)
 _____ (NAME OF SCHOOL) BEING RUN
 BY _____ (NAME
 OF THE SOCIETY/TRUST) AS ON _____ (DATE)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
S. No.	Name	Father's/Husband's Name	Designation	Pay scale with grade-pay	Qualification and %age of marks at graduation level and post graduation level	Mode of Recruitment	Date of Birth	Date of Appointment	Age on Date of Appointment (dd-mm-yy)	Whether Temporary/On probation/Confirmed	If confirmed, mention date of confirmation	Subject Specialization	Residential Address	Remarks : Whether age-relaxation on the basis of teaching experience required or not? If yes, give details and attach

Signature of Chairman/Manager

FORM II

E-Mail:

Phone:
Fax:OFFICE OF DISTRICT EDUCATION OFFICER
(Name of District/Union Territory)

No.

Dated:

The Manager,

Subject: Recognition Certificate for the school under sub-rule (5) of rule 14 of Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 for the purpose of section 18 of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

Dear Sir/Madam,

With reference to you application dated and subsequent correspondence with the school/inspection in this regard, I convey the grant for provisional recognition to the (name of the school with address) for Class to Class for a period of three years w.e.f. to

The above sanction is subject to fulfillment of following conditions:

1. The grant for recognition is not extendable and does not in any way imply and obligation to recognize/affiliate beyond class VIII.
2. The School shall abide by the provisions of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and the Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011.
3. The School shall admit in class I (or in entry class, as the case may be), to the extent of 25% of the strength of that class, children belonging to weaker section and disadvantaged group in the neighbourhood and provide free and compulsory elementary education till its completion.
4. For the children referred to in paragraph 3, the School shall be reimbursed in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Act. To receive such reimbursements school shall maintain a separate bank account.
5. The Society/School shall not collect any capitation fee and subject the child or his or her parent or guardian to any screening procedure.
6. The School shall not deny admission to any child for lack of age of proof shall adhere to the provisions of section 15 of the Act. The school shall ensure:
 - (i) No child admitted shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education in a school.
 - (ii) No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.
 - (iii) No child is required to pass any board examination till the completion of elementary education.

- (iv) Every child completing elementary education shall be awarded a certificate as laid down under rule 22.
 - (v) Inclusion of students with disabilities/special needs as per provision of the Act.
 - (vi) The teachers are recruited with minimum qualifications as laid under section 23(1) of the Act. Provided further that the current teachers who, at the commencement of this Act do not possess minimum qualifications shall acquire such minimum qualifications within a period of 5 years.
 - (vii) The teacher performs its duties specified under section 24(1) of the Act and
 - (viii) The teachers shall not engage himself or herself for private teaching activities.
7. The School shall follow the syllabus on the basis of curriculum laid down by appropriate authority.
 8. That the School shall follow the three language formula for teaching.
 9. A certificate from competent authority that the school building has been constructed as per latest National Building Code has to be submitted within three months.
 10. That the Management of the school shall create a reserve fund in the form of Fixed Deposit in the joint account in the name of Manager of the school and Dy. Director of Education (District concerned) equivalent to 3 months salary of staff or Rupees One Lac+Rs. 80/- per student within 3 months from the date of issue of letter.
 11. That the School shall ensure that the Fire Safety equipments and arrangements are maintained as per the latest guidelines/circulars issued by Directorate of Education.
 12. That the School shall comply with the directions of Hon'ble Supreme Court regarding the arrangement made for transporting school students.
 13. Salary to the staff shall be made through crossed Cheque/Electronic clearance system.
 14. The School shall maintain the standards and norms of the school as specified in section 19 of the Act. The facilities reported at the time of last inspection are as given under:-
 - Area of school campus-
 - Total built up area-
 - Area of play ground-
 - No. of class room-
 - Room for Headmaster-cum-Office-cum-Storeroom-
 - Separate toilet for boys and girls-
 - Drinking Water Facility-
 - Kitchen for cooking Mid Day Meal-
 - Barrier free Access-
 - Availability of Teaching Learning Material/Play Sports Equipments/Library-
 15. No unrecognized classes shall run within the premises of the school or outside in the same name of the school.
 16. The school buildings or other structures or the grounds are used only for the purposes education and skill development.
 17. The School is run by a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or a public trust constituted under any law for the time being in force.
 18. The School is not run for profit to any individual, group or association of individuals or any other persons.
 19. The accounts should be audited and certified by a Chartered Accountant and proper account statements should be prepared as per rules. A copy each of the

Statements of Accounts should be sent to the District Education Officer every year.

20. The recognition Code Number allotted to your school is This may please be noted and quoted for any correspondence with this office.
21. The School furnishes such reports and information as may be required by the Director of Education/District Education Officer from time to time and complies with such instructions of the Appropriate Government/Local Authority as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school.
22. Renewal of Registration of Society if any, be ensured.
23. Other conditions as per Annexure enclosed.

Yours faithfully,

District Education Officer